



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-2664/DL/36/2025-RU-IV

दिनांक: 11/09/2025

सेवा मे,

श्री सतीश गोलछा

पुलिस आयुक्त,

दिल्ली पुलिस,

पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001

ई:मेल- cp.bsbassi@nic.in

विषय: प्रार्थिनी के साथ हो रहे उत्पीड़न एवं धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज की गई रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा दोषी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने के संबंध में – सुश्री वुंग घई किम, 44/7 पटेल चेस्ट फ्लैट, लॉ फैकल्टी के सामने, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली का दिनांक 31.05.2025 का पत्र।

संदर्भ: आयोग का नोटिस दिनांक 20.06.2025 (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदय,

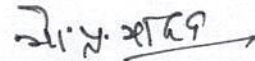
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **18.09.2025 को 02:40 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय


योगेंद्र प्र. यादव / Yogendra P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

सुश्री वुंग घई किम,

44/7 पटेल चेस्ट फ्लैट,

लॉ फैकल्टी के सामने,

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110007,

kimngaihte35@gmail.com Mobile No:9311252428

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

दिनांक: 20/06/2025

फा. सं.: NCST/ATY-2664/DL/36/2025-RU-IV

श्री संजय अरोड़ा,
पुलिस आयुक्त,
दिल्ली पुलिस,
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001
ई-मेल: sp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

विषय: प्रार्थिनी के साथ हो रहे उत्पीड़न एवं धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज की गई रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा दोषी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने के संबंध में – सुश्री वुंग घई किम, 44/7 पटेल चेस्ट फ्लैट, लॉ फैकल्टी के सामने, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली का दिनांक 31.05.2025 का पत्र।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सुश्री वुंग घई किम से दिनांक 31/05/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर कर्म गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338व के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24615017
ई-मेल: hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थः

सुश्री वुंग घई किम,
44/7 पटेल चेस्ट फ्लैट,
लॉ फैकल्टी के सामने,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110007,
kinnngaihte35@gmail.com Mobile No:9311252428

SNo 11406-11407

Date 27-6-25

वा.मे.

दिनांक 16/05/25

उद्दिष्ट आह्वान गी,

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

भारत सरकार

नई दिल्ली,

BuHaw
16/05/25

विषय-

मेरे साथ हो रहे उत्पीड़न एवं ~~कुपय~~ धोखा धड़ी
के संदर्भ में पुलिस ने किसी प्रकार की कोई
भी कार्यवाही नहीं की है के सम्बन्ध में।

महोदय, जी,

आपको अवगत कराना है कि मैं बुग चर्ई किम
मार्थ इस्ट की रहने वाली हूँ और अभी दिल्ली
के पटेल चैस्ट के कुम्पस कर रही हूँ। मेरे
साथ प्रवेश कुल्लु नाथ की आठमी मेरा उत्पीड़न
कर रहा है जैसे ले लिए जैसे की नहीं दे रहा
है और अब जाति सूचक शक्ती का प्रयोग
करते हुए गालिया दे रहा है जिसकी सूचना
मेरी दिनांक 31/5/25 को पुलिस उपानुमत्त भारीश
नगर और दिनांक 31/05/25 को हि रणसू सूचकओ
भारिस नगर नई दिल्ली को लिखित रूप से शिकायत
दिया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कि
गयी है
अतः आपसे निवेदन है कि प्राथमिकी की

शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए हमारे उपर हो रहे
उपीडर एवं चोरवाचक से बचाने की क्षमता है.
आपकी सहा आभारी रहूँगी.

सलम. कापी,

1. शिकायत पत्र पुलिस अधीक्षक उत्तर दिल्ली
भारत नगर नई दिल्ली.

2. शिकायत पत्र की कापी. श्रीमान एम एच ओ
भारत नगर दिल्ली

V
पावा.

Vung Ngach Kim
44/7, Potal Chut Flat
Phobyn Road,
Opposite Campus Law
Center, University
of Delhi
Delhi-110007

Ph- 9311252428
9999612428

Kimngachto35@gmail.
com